प्रेषक,

सुधीन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0, लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 17 जून, 2020**

विषयः-प्रदेश में लोहिया ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु उ0 प्र0 ग्रामीण आवास परिषद द्वारा हडको से लिये गये ऋण की धनराशि पर वित्तीय वर्ष-2020-21 में देय मूलधन एवं ब्याज के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0 प्र0 ग्रामीण आवास परिषद के पत्र संख्या-07/ग्रा0आ0परि0-199(3)/2020-21, दिनांक-18 मई, 2020 (मयसंलग्नक छायाप्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोहिया ग्रामीण आवास योजना के वित्त पोषण हेतु उ0 प्र0 ग्रामीण आवास परिषद द्वारा हडको से लिये गये ऋण की धनराशि पर वित्तीय वर्ष-2020-21 के प्रथम त्रैमास में देय मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हेतु अपेक्षित धनराशि अवमुक्त करने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोहिया ग्रामीण आवास योजना के वित्त पोषण हेतु हडको से प्राप्त ऋण के सापेक्ष देय मूलधन एवं ब्याज की धनराशि का भुगतान यथा समय किया जाना वचनबद्ध व्यय है। अतएव योजनान्तर्गत प्रत्येक त्रैमास (जून, 2020, सितम्बर, 2020, दिसम्बर, 2020 एवं मार्च, 2021) में हडको ऋण के मूलधन एवं ब्याज की अदायगी हेतु अनुदान संख्या -13 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में **ब्याज की अदायगी हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1800.00 लाख (रूपये अठ्ठारह करोड़ मात्र) तथा मूलधन की अदायगी हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 10800.00 लाख (रूपये एक अरब आठ करोड़ मात्र)** आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) उपरोक्त धनराशि योजना के शासनादेश संख्या-107/38-4-13-05(बजट)/2012, दिनांक-20-02-2013 में निहित प्राविधानों के कार्यान्वयन हेतु हडको से प्राप्त ऋण की धनराशि के सापेक्ष मूलधन एवं ब्याज के भुगतान में व्यय की जायेगी।

(2) भुगतान की गयी धनराशि में यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो उसके लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर पर वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे।

(3) उपरोक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, उसके पश्चात् ही किया जायेगा ।

(4) प्रश्नगत धनराशि को आहरित कर बैंक, डाकघर या पी0एल0ए0 में जमा नहीं किया जायेगा।

(5) समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु योजना की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय।

(6) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

(7) हडको को मूलधन एवं ब्याज की धनराशि निर्धारित तिथि तक प्रत्येक दशा में भुगतान करने का सम्पूर्ण उत्त्रदायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 का होगा।

(8) देय मूलधन एवं ब्याज के आगणन की शुद्धता, धनराशि के भुगतान के पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 स्तर पर तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे।

(9) प्रत्येक त्रैमास में भुगतानोपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 हडको से भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त कर, एक सप्ताह में शासन को उपलब्ध करायेंगे। उक्त की प्रति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन को भी प्रेषित की जायेगी।

3- मूलधन का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक से अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-"2216-आवास-03-ग्रामीण आवास-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् द्वारा लोहिया ग्रामीण आवास योजना हेतु हडको से लिये गये ऋण के मूलधन का भुगतान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" एवं **ब्याज का भुगतान**-लेखाशीर्षक-2216-आवास-03-ग्रामीण आवास-800-अन्य व्यय-04-उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् द्वारा लोहिया ग्रामीण आवास योजना के लिए हडको से लिये गए ऋण पर ब्याज के भुगतान हेतु-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" नामे डाला जायेगा।

4- उल्लेखनीय है कि हडको से लिए गए ऋण के मूलधन एवं ब्याज की अदायगी बचनबद्ध व्यय है। अतः ग्रामीण आवास आयुक्त, उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रत्येक त्रैमास में हडको ऋण के देय मूलधन एवं ब्याज की धनराशि के भुगतान हेतु मांग पत्र सीधे आयुक्त, ग्राम्य विकास को प्रेषित किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित कराया जायेगा कि हडको ऋण के देय मूलधन एवं ब्याज का भुगतान हडको को प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक अवश्य प्राप्त हो जाय।

5- यह आदेश वित्त विभाग के परामर्श एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2020 /बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं शासनादेश संख्या- 5/2020/बी-1-196/दस-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सुधीन्द्र कुमार
विशेष सचिव ।

संख्या-01/2020/202(1)/38-4-2020, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास, उ0 प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
3. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
7. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4, उ0प्र0 शासन
9. राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
10. ग्रामीण आवास आयुक्त, उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद, सी-6/270, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
11. क्षेत्रीय प्रमुख, हडको, पिकप भवन, लखनऊ।
12. विशेष कार्याधिकारी, (बजट प्रकोष्ठ), ग्राम्य विकास अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।
13. गार्डबुक ।

(सुधीन्द्र कुमार)
विशेष सचिव ।

http://hudarahdesh.up.gov.in